निर्देश | रोड हटाने की कार्यवाही पर यथास्थिति के निर्देश

पनागर एसडीएम सहित अन्य से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पनागर के ग्राम औरिया में एक डेवलपर द्वारा कृषि कार्य के लिये किये गये रोड निर्माण को हटाने संबंधी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में यथास्थिति के निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह मामला मॉं काली डेवलपर्स की ओर से दायर करते हुए पनागर एसडीएम के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मुरम डालकर कृषि कार्य हेतु बनाई गई रोड को हटाने के आदेश दिये गये है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने कॉलोनी बनाने के उद्देश्य से जमीन क्रय की थी, लेकिन कालोनी निर्माण हेतु आवश्यक अनुमति टीएनसीपी भोपाल के पास पेंडिंग है। इसी

बीच में याचिकाकर्ता ने लगभग 10 हेक्टर की जमीन पर खेती करने का निश्चय किया एवं खेती में आवागमन के उद्देश्य से मुरम की रोड डाली, इसके साथ नगर निगम से आवश्यक अनुमति लेकर नाले के ऊपर स्वयं के खर्चे पुल बनाया, किंतु एक स्थानीय नागरिक ने दुर्भावना पूर्वक प्रेरित होकर एसडीएम पनागर के समक्ष अतिक्रमण हटाने के संबंध में शिकायत की। जिस पर याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब भी आवेदक की ओर से दिया गया, लेकिन उक्त जवाब के बावजूद एसडीएम द्वारा आदेश न पारित करते हुए दुर्भावना पूर्वक तहसीलदार पनागर को आदेश किया कि याचिकाकर्ता द्वारा आवागमन के लिये बनाई गई रोड को तत्काल हटाया जाये। जिसके बाद तहसीलदार ने तीन दिवस में रोड हटाने का आदेश पारित किया। जिसके खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अपील की गई। न्यायालय को बताया गया कि कमिश्नर ने यह कहते हुए कि अभी समय नहीं है अपील पर सुनवाई नहीं की, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने पाया कि एसडीएम का आदेश विधि संगत नहीं है कोई भी कार्यवाही करने से पहले संबंधित तहसीलदार या पटवारी से प्रतिवेदन मंगवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। न्यायालय ने मामले में यथास्थिति के निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

छिंदवाड़ा कलेक्टर सहित अन्य से जवाब तलब

मप्र हाईकोर्ट ने स्थानांतरण आदेश के छह साल बाद रिलीव करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने कलेक्टर व सीएमएचओ छिंदवाड़ा को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। छिंदवाड़ा निवासी स्टाफ नर्स एंजेला चौकीकर की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय एवं साकेत उपाध्याय ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण 5 जुलाई 2019 को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनोरा किया गया था। बाद में उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया था। अब करीब 6 साल बाद 30 जुलाई 2025 को याचिकाकर्ता का रिलीविंग आदेश जारी कर यह कहा गया कि वे अपने मूल पदस्थापना धनोरा में उपस्थिति दर्ज करें। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा को किया निरस्त

हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने के फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपियों की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव है। इसके अलावा पीड़ित के नाबालिग होने के संबंध में आयु संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। छिंदवाड़ा जिला न्यायालय के द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये आदेश को खिलाफ अपीलकर्ता जितेंद्र टांडेकर तथा अरुण ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

दफ्तरों के गलियारे

साहबों को फील्ड नहीं, चाहिए मलाईदार काम

विगत दिनों राजस्व न्यायालयीन और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के कार्य विभाजन हुए हैं। इस नई व्यवस्था में अब कुछ साहबों को फील्ड में तैनात किया गया है, लेकिन वह इस कार्य विभाजन से संतुष्ट नहीं है। पहले तो भोपाल से फरमान आने के बाद बड़े साहब द्वारा कार्य विभाजन कर दिया है, वहीं इस बीच राजस्व की हड़ताल चल रही थी, जो आश्वासन मिलने पर खत्म हुई और सभी अपने कार्य पर लौटे। लेकिन नए कार्य विभाजन से उन्हें खुशी नहीं मिली है। इसमें कुछ साहबों की मन की बात सामने आ रही है, जो दफ्तर के गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखा जाए न्यायालयीन कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के प्रावधानों के तहत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का दायित्व भी सौंपा गया है। आदेश के मुताबिक ये साहब राजस्व प्रकरणों के साथ-साथ प्रकरणों की सुनवाई भी करेंगे। आदेश में स्पष्ट है कि राजस्व न्यायालयीन के लिए नियुक्त अधिकारी को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नियमित रूप से राजस्व न्यायालय का कार्य करना होगा। राजस्व न्यायालय के कार्य दिवसों में ये साहब कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के फील्ड कार्य सहित अन्य कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकेंगे, जिससे राजस्व प्रकरणों की सुनवाई में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। राजस्व न्यायालयीन कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का फील्ड कार्य केवल ड्यूटी लगाए जाने पर ही कर सकेंगे। जबकि, सार्वजनिक अवकाश के दिन ये अधिकारी अपने क्षेत्र में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का फील्ड कार्य करने ना केवल स्वतंत्र होंगे बल्कि उत्तरदायी भी होंगे। अब इस स्थिति में कुछ साहब जो अधिकारी और नेताओं के कृपापात्र हैं, वे फील्ड का कार्य नहीं करना चाहते हैं और मलाईदार काम पाने के लिए संपर्क में लगे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन साहब फील्ड में उतरेंगे या कुर्सी में बैठेंगे।

जब वकील साहब ने लांघी भाषा की मर्यादा

क्या हो जब एक अधिवक्ता बहस के दौरान भारी कोर्ट रूम में जज को ही अपशब्द कह दे। अब आप सोच रहे होंगे कभी भला ऐसा हो सकता है? लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में ऐसा ही एक आश्चर्य करने वाले मामला सामने आया है। जहां एक उम्रदराज अधिवक्ता ने बहस के दौरान गुस्से में जज को ही भला बुरा कह दिया। दरअसल, मामला मारपीट से जुड़ा हो था, जिसमें वकील साहब अपने क्लाइंट को बाईज्जत बरी करवा कर अपनी कॉलर ऊपर करना चाह रहे थे। लेकिन जब जज साहब ने उनकी बात को टाल दिया तो वकील साहब ने गुस्से में सरकारी वकील से पूछ लिया कि क्या ये जज –– है? फिर क्या था न्यायालय का माहौल कुछ देर के लिए तनाव पूर्ण हो गया था। कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकीलों ने बीच बचाव कर माहौल सामान्य किया था। बता दे कि ये मामला एक सरल जज की बेंच में लगा था उन्होंने बस टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि हम अपने कोर्ट में किसी से गलत बात नहीं करते है और नाही किसी की गलत भाषा बर्दाश्त करते हैं। इसके बाद अधिवक्ता ने बिना किसी शर्त के तुरंत माफी मांग ली जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया लेकिन उन्हें भविष्य में ऐसी भाषा का प्रयोग न करने की कड़ी चेतावनी भी दी गई है। उच्च न्यायालय के गलियारों में ये चर्चा भी रही कि अधिवक्ता की किस्मत अच्छी थी कि मामला सिंपल सोबर जज की कोर्ट में था। अगर यही मामला किसी सख्त जज के सामने होता तो वकील की मुश्किले बढ़ सकती थी।

अपनों को तलाशती रहीं आंखें, नजर नहीं आया कोई........

वो काले कोट पहने महिलाओं सहित पुरूष वकीलों का बड़ा समूह... वो जिला न्यायालय की अदालत की चौखट, वो पुलिस का गोल घेरा और इसी में अपनों को तलाशते हुईं आंखें.... ये नजारा सामने आया तो सत्ता पक्ष के गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा रही कि आखिरकार कांग्रेसी पार्षद को हमनें पीटकर जेल भिजवा ही दिया। लेकिन उस कांग्रेसी पूर्व पार्षद को बचाने वाला या उसका समर्थन करने वाला एक भी कांग्रेसी बड़ा चेहरा कोर्ट में नजर नहीं आया। मामला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू के द्वारा दिए गए महिलाओं को शराब पीने वाले बयान से जुड़े होने का था जिस पर जबलपुर के पूर्व कांग्रेसी पार्षद ने सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी बस फिर क्या था, सत्ता पक्ष पर बैठी भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिला और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। वहीं कोर्ट में उन पुलिस कर्मियों के बीच में चर्चाएं जोरों पर थीं कि अगर ये पूर्व पार्षद कांग्रेस का नहीं होता तो शायद इतना बवाल न खड़ा होता। बहरहाल अभी कांग्रेसी पूर्व पार्षद जेल में है और वह संभवत: पार्टी के उन अपनों को कोस रहा होगा जिन्होंने उसके बुरे समय में साथ नहीं दिया। चर्चाएं तो ये भी हैं कि कांग्रेस के खेमे में एक से बढ़कर एक वकील भी कोर्ट में हैं बावजूद इसके किसी कांग्रेसी वकील ने पूर्व पार्षद की अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट के समक्ष गुहार नहीं लगाई। अब देखना होगा कि पूर्व पार्षद का पार्टी के बड़े चेहरों के प्रति जेल से बाहर आने के बाद क्या प्रतिक्रिया रहती है।

जब अनजाने में जनसेवकों ने करवा दिया घर में कलह

देशभक्ति और जनसेवा के लिए खाकी वर्दी जानी जाती हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाने, काउंसलिंग के जरिए टूटने की कगार में पहुंचने वाले घर भी जोड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं लेकिन अनजाने में इन जनसेवकों की एक घर में आमद ने कलह करवा दी। बात इतनी बढ़ गई कि मामला एफआईआर तक पहुंच गया। जिसमें पति आरोपी तो पत्नी पीड़िता बनी। हुआ यूं कि मां नर्मदा नदी से लगे थाने की पुलिस एक घर में समन तामील कराने पहुंच गई पति को शक हुआ। पति पत्नी से झगड़ पड़ा कहने लगा पुलिस क्यों आई हैं तुम हमारे खिलाफ गवाही दें रही हो, पति, सास, देवर का पारा इतना चढ़ा कि वे महिला को घर से निकालने लगे और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची और रपट दर्ज कराई। जब थाने में मामले की चर्चा शुरू हुई तो कुछ पुलिसकर्मी यह भी कहते रहे थे कि हम झगड़ों को सुलझाने के लिए जाने वाले वर्दीधारी अनजाने में पति पत्नी के बीच हुए झगड़े की वजह बन गए। हालांकि समन तामील का मामला धोखाधड़ी प्रकरण से जुड़ा हुआ था लेकिन पति गलतफहमी का शिकार हो गया।

अमन पटेल, धनंजय श्रीवास्तव, विवेक दुबे, अजहर खान

एपीके फाईल डाउनलोड करते ही जंग डेस्क इंस्टाल और खाते से उड़ी रकम

- गूगल पर नंबर सर्च कर साइबर ठग के जाल में फंसी युवती

जबलपुर। शॉपिंग एप का हेल्पलाइन नंबर गूगल पर सर्च करना एक युवती को भारी पड़ गया। वह साइबर ठग के जाल में फंस गई। जैसे ही उसने एपीकके फाइल डाउनलोड की तो जंग डेस्क इंस्टाल हुआ और उसके खाते से 78,280 रूपए उड़ गए। पीड़िता ने गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई हैं। पुलिस के मुताबिक शनिवार को निशा तामिया 22 वर्ष निवासी चंडालभाटा गोहलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके द्वारा सोप्सी ऐप से एक आर्डर बुक किया था किन्तु धोखे से अधिक आर्डर बुक हो जाने पर उसके द्वारा आर्डर केंसल कराने के लिये गूगल पर सोप्सी ऐप का हेल्प लाईन नम्बर सर्च किया एवं उक्त मोबाइल नम्बर से सम्पर्क

किया तो उन्होंने उसके व्हाटसएप पर मैसेज किया उसे एक आधार एपीके फाईल डाउनलोड करने के लिये कहा तो उसने उस एप को डाउनलोड किया तो उसके फोन पर जंग डेस्क इंस्टाल हो गया फिर उसने उक्त एप से आर्डर केंसिल कर दिया उसके फोनपे एप पर रिफंड के लिये यूपीआई पिन डालने के लिये कहा उसने पिन डाला तो फोन पे एप से 78,280 रूपये कट गये उसका फोन पे एप उसके इंडियन बैंक अकाउण्ट खाता से लिंक है। उसने संबंधित बैंक जाकर पता किया तो उसे पता चला कि उसके साथ आनलाईन ठगी हुयी है।

डिजिटलाइजेशन से होगा सभी रिकॉर्ड संरक्षित

राढुविवि में 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2025 तक सभी दस्तावेजों का डजिटलाइजेशन

नवभारत, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज,को भविष्य के लिए संरक्षित करने उन दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन कर संरक्षित किए जाने के लिए निर्णय लिया गया। इसके लिए विश्वविद्यालय में कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कुलगुरु प्रो. वर्मा ने कहा कि डिजिटलाइजेशन के लिए किये जा रहे कार्य क्रांतिकारी प्रयास हैं। यह समय-सीमा में पूर्ण हों, यह आवश्यक है। बैठक में कुलगुरु प्रो. वर्मा ने कहा कि डिजिटलाइजेशन कार्य के सुचारू संचालन के लिए जरूरी है कि सभी पूर्ण आत्म-विश्वास के साथ अधिकारिता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करें। कार्य में आने वाली समस्याओं का समाधान भी करें। इसके लिए सभी संबंधित विभागों से दस्तावेजों की

जानकारी प्राप्त कर उनका डिजिटलाइजेशन किया जायेगा। इस हेतु प्रथम चरण में 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2025 तक सभी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जायेगा। इसके बाद के दूसरे चरण में इसके पहले के वर्षों के सभी विभागों के समस्त दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन का कार्य भी पूरा किया जायेगा।

कागज की खपत कम, होगी आर्थिक बचत

जानकारी के अनुसार दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन से कागज की खपत कम होगी, जिससे विश्वविद्यालय की आर्थिक बचत भी होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी । परीक्षा एवं गोपनीय विभागों के टेबुलेशन रजिस्टर, डिग्रियां, अंकसूची तथा अन्य गोपनीय रिकार्ड सुरक्षित रहेगा। यह प्रक्रिया टेंडर के माध्यम से की जायेगी। इस कार्य में अग्रणी कम्पनी या संस्था जो अनुभव रखती है उनके द्वारा इसे किया जायेगा। बैठक में प्रो. सुरेन्द्र सिंह, प्रो. मृदुला दुबे, सहायक कुलसचिव पवन साहू, डॉ. अजय कुमार गुप्ता एवं डॉ. विनय तिवारी आदि उपस्थित रहे।

सीजीएसटी ने अघोषित माल का परिवहन करते वाहन पकड़ा

जबलपुर। सीजीएसटी जबलपुर ने अघोषित माल का परिवहन करते एक वाहन को पकड़ा। जांच पड़ताल के साथ माल और दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तो अनेक अघोषित वस्तुएँ पाई गईं। जानकारी के मुताबिक जीएसटी आयुक्त, जबलपुर लोकेश कुमार लिल्हारे के कुशल मार्गदर्शन में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिकारियों ने गुरूवार को को एक वाहन को रोका, जिसके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें अघोषित माल परिवहन किया जा रहा है। तत्पश्चात शनिवार को उक्त वाहन का भौतिक सत्यापन किया गयाए जिसमें अनेक अघोषित वस्तुएँ पाई गईं। वर्तमान में माल एवं दस्तावेजों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत सत्यापन के लिए रोका गया है विस्तृत जाँच जारी है। उल्लेखनीय है कि गत सप्ताह विभाग द्वारा जबलपुर, कटनी एवं छतरपुर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान भी कई वाहन पकड़े गए थे जिनमें सूखी सुपारी, टीएमटी बार्स, पान मसाला एवं तंबाकू से भरे ट्रक शामिल थे। इन मामलों में भी कम मूल्य घोषित कर अथवा बिना समुचित दस्तावेजों के माल परिवहन किया जा रहा था। ये कार्रवाईयाँ विभाग की उस सख्त नीति का हिस्सा हैं जिसके अंतर्गत जीएसटी चोरी के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाया गया है। सीजीएसटी, जबलपुर आयुक्तालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कर चोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे सतत अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे।

छह पटवारियों के वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश

जबलपुर। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने फार्मर रजिस्ट्री की दिशा में कम प्रगति लाने वाले छह पटवारियों के वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व संबंधी विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्डों की स्कैनिंग शुरू हो जाए। बैठक में विशेष रूप से तहसील वार नामांतरण, बटवारा, सीमांकन व वसूली की स्थिति समीक्षा की गई। सीमांकन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में जितने भी तालाब हैं, उनके सीमांकन के लिए दल बनाएं और सीमांकन कर मुनारा या स्थाई चिन्ह बनाएं। यदि कोई मुनारा को हटाता है तो उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए। इस दौरान अपर कलेक्टर मिशा सिंह, सीईओ जिला पंचायत अभिषेक गहलोत, एडीएम नाथूराम गोड सहित सभी राजस्व अधिकारी मौजूद थे।

जबलपुर-दानापुर के मध्य पूजा स्पेशल

जबलपुर। रेल प्रशासन द्वारा त्यौहारों पर यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु सदैव प्रयासरत रहता है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल ने दुर्गा, दिवाली एवं छठ पूजा त्यौहारों के पर्व पर अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लीयर करने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए जबलपुर-दानापुर-जबलपुर के मध्य द्वि-साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने

का निर्णय लिया है। यह गाड़ी पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर से प्रस्थान कर सिहोरा रोड, कटनी, मैहर एवं सतना स्टेशनों से होकर गन्तव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 01701 जबलपुर से दानापुर स्पेशल ट्रेन 26 सितंबर से 5 नवंबर तक द्वि-साप्ताहिक बुधवार एवं शुक्रवार को एक्सप्रेस ट्रेन जबलपुर से रात 19:35 बजे प्रस्थान कर सिहोरा रोड 20:10 बजे, कटनी 21:10 बजे, मैहर 22:10 बजे, सतना 22:45 बजे पहुँचकर और अगले दिन गुरुवार एवं शनिवार को सुबह 08:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुँचेगी।

तीन सूने घरों के टूटे ताले लाखों का माल ले गए चोर

जबलपुर। शहपुरा में दो घरों के ताले तोड़कर अज्ञात चोर लाखों का माल चुराकर ले गए। वहीं मझगवां थाना अंतर्गत कुम्ही में चोरों ने सूने घर का ताला तोड़कर जेवर, नगदी पार कर दी। पुलिस ने तीनों ही मामलों में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है। शहपुरा पुलिस ने बताया कि अरविन्द सिंह राजपूत 53 वर्ष निवासी कैथरा शहपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 अगस्त को सुबह लगभग 9-40 बजे रिश्तेदारी में नारायणपुर सुरखी जिला सागर अपने परिवार सहित गया था जब घर वापस आया तो घर का ताला टूटा मिला। गोदरेज में रखे सोने चांदी के जेवर, नगदी 45 हजार रूपये नहीं थे। इसी प्रकार दशरथ विश्वकर्मा 50 वर्ष निवासी ओम शांति कालोनी शहपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर बैग के अंदर रखा सोने का हार, मंगलसूत्र, नगदी 5 हजार रूपये चुरा कर ले गया।इसी प्रकार मझगवां थाना अंतर्गत कुम्ही में रहने वाली ताहिरा बी के सूने घर चोर जेवर, नगदी चुराकर ले गए।

गोल्ड बता थमाई पीतल, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को लगाया 7 लाख का चूना

जबलपुर। विजयनगर थाना क्षेत्र में जालसाजों ने एमपीईबी से रिटायर्ड कर्मचारी को 7 लाख का चूना लगा दिया। 15 तोला सोना गिरा हुआ मिलने का कहते हुए 7 लाख रुपये लेकर पीतल थमाकर चले गए। पुलिस ने रिपोर्ट पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात्रि प्रकाश नारायण दुबे 64 वर्ष निवासी एकतानगर विजयनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह एमपीईबी से रिटायर्ड है घर पर बच्चों ने कास्मेटिक की दुकान संचालित करते हैं कभी कभी वह भी दुकान पर बैठता हैं जब वह दुकान पर बैठा था तभी दोनों लडके आये बताये की हमारी मां की तबियत खराब है पैसों की जरूरत है काम करते समय हमें सोने की गुरिया वाली माला मिली है जिसे हम गिरवी रखना चाहते है और उसी गुरिया की माला से सोने जैसे दिखने वाले 2 गुरिया उसे दिये और बोले की आप इन्हे चैक करा लो, उसने उन गुरियो को चैक कराया जो सोने के निकले। इसके बाद दोनों दीनदयाल चौक प्रवेश द्वार के पास मिले। जिन्होने उसे सोने जैसी गुरिया वाली माला दिये उसने उन्हें 7 लाख रुपये नगद दिये, दोनों लड़के उससे 7 लाख रूपये लेकर चले गये, वह सोने जैसे गुरिया की माला लेकर घर आ गया, घर पहुंच कर उसे लगा की यह सोना नकली तो नहीं है उसने फोन से सम्पर्क किया जो उनका फोन बंद आया, वह सोना ले जा कर ज्योती गोल्ड एन्ड सिल्वर लैब ले जाकर चैक कराया सोने के गुरिया जैसी माला पीतल की निकली।

सर्पदंश से युवक की मौत

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत सिलुआ में सर्पदंश से युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रामप्रसाद केवट 54 वर्ष निवासी रामपुर टोला ग्राम सिलुआ बरेला ने सूचना दी कि उसका भतीजा दिलीप कुमार केवट 22 वर्ष निवासी रामपुर टोला ग्राम सिलुआ का बीती रात लगभग 10 बजे खाकर घर में जमीन पर सो रहा था जिसे रात्रि लगभग 12-40 बजे सर्प ने दाहिने हाथ में काट लिया था दिलीप को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था दौरान उपचार के शनिवार सुबह लगभग 11-30 बजे दिलीप कुमार केवट की मौत हो गई।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एजेंज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोत्री द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No 1537/57